

## वार्षिक शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष)

माननीय श्री राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से निम्नवत आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्रम सं०	कक्षा स्तर	वित्तीय वर्ष 2024-25 से
1	कक्षा 9-10	9000/-
2	कक्षा 11-12	10000/-
3	स्नातक स्तर – (बी०ए० तथा बी०काम०, बी०एस०सी०, बी०एड०, बी०बी०ए० आदि)	12000/-
4	स्नातकोत्तर स्तर– (एम०ए०, एम०काम० एम०एस०सी० आदि)	15000/-
5	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई०टी०आई० एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	17500/-
6	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी०ए०एम०एस०, बी०डी०एस०, बी०टेक०, बी०बी०एस०सी०, एम०बी०ए०, एम०बी०बी०एस० आदि)	40000/-

### अर्हताएँ

शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक हैं :-

- (क) शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होते ही दिनांक 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- (ख) कक्षा 9 से तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पिछली कक्षा की अंकतालिका सत्यापित होना अनिवार्य है।
- (ग) शैक्षिक सहायता एक पूर्व सैनिक/विधवा के दो बच्चों तक को ही अनुमन्य है।
- (घ) केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी। यदि पूर्व सैनिक जीवित नहीं है तो जे०सी०ओ० रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी।
- (च) पूर्व सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये।
- (छ) इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक द्वारा भारत/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता हेतु आवेदन नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा जानबूझ कर ली गयी धनराशि को कार्यालय को वापस करना होगा।
- (ज) **अभ्यर्थी जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, उसी कक्षा के लिये ही आर्थिक सहायता स्वीकृति की जायेगी।**

**नोट— अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म को भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर फार्म के भाग-2 पर स्कूल/कॉलेज/संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाकर अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा करेंगे। तत्पश्चात जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय उक्त फार्म मूल रूप में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।**